



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-986-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2015/2-प्र०सु०/2003

दिनांक: 16 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में मानव संसाधन की गणना हेतु पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के परिपत्र संख्या 15959-एन०जी०/एस०ई०बी०-75(04)-356 एन०जी०/1975 दिनांक 09.12.1975 एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्यालय ज्ञापों एवं पत्रों द्वारा निर्धारित मानकों को उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत एतद्वारा आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदनाम	नये उपभोक्ता मानक
1	अधिशाली अभियन्ता (वितरण) महानगरीय क्षेत्र	लगभग 50,000 उपभोक्ता
2	अधिशाली अभियन्ता (वितरण) नगरीय क्षेत्र	लगभग 60,000 उपभोक्ता
3	अधिशाली अभियन्ता (वितरण) ग्रामीण क्षेत्र	लगभग 50,000 उपभोक्ता
4	अधिशाली अभियन्ता (परीक्षण)	प्रत्येक वितरण मण्डल में 01
5	सहायक अभियन्ता (वितरण) शहरी क्षेत्र	प्रति खण्ड-03 (लगभग 20,000 उपभोक्ता)
6	सहायक अभियन्ता (वितरण) ग्रामीण क्षेत्र	प्रति खण्ड-03 (लगभग 16500 उपभोक्ता)
7	सहायक अभि० (राज०)	प्रत्येक वितरण खण्ड में 01
8	सहायक अभि० (आई०टी०)	प्रत्येक वितरण मण्डल में 01 (नवसृजित पद)
9	सहायक अभियन्ता (मीटर)	प्रत्येक वितरण खण्ड में 01
10	सहायक अभियन्ता (रेड)	प्रत्येक वितरण क्षेत्र में 01 (नवसृजित पद)
11	अवर अभियन्ता, शहरी क्षेत्र	प्रति उपखण्ड में -03 (लगभग 6000 उपभोक्ता)
12	अवर अभियन्ता, ग्रामीण क्षेत्र	सामान्यतया प्रति उपखण्ड-03 (लगभग 5000 उपभोक्ता) / प्रति 33/11 के० वी० उपकेन्द्र (10एम०वी०ए० क्षमता तक)
13	अवर अभियन्ता, मीटर	प्रत्येक वितरण उपखण्ड में 01
14	टी०जी०-2 विद्युत (जे०एम०टी०)	प्रत्येक सहायक अभियन्ता मीटर कार्यालय में 06

प्रति तीन वितरण खण्डों पर एक वितरण मण्डल होगा।

प्रति शासकीय मण्डलों में एक वितरण क्षेत्र होगा।

लेसा व गाजियाबाद क्षेत्र इसके अतिरिक्त हैं।

वितरण खण्डों में उपभोक्ता की संख्या मानक से 50 प्रतिशत अधिक होने पर नया खण्ड गठित होगा।

क्र०सं०	उपकेन्द्र (33/11 के०वी०) हेतु मानक	नये मानक के अनुसार संख्या
1	11के०वी०फीडर (ग्रामीण/नगरीय)	1 गैंग प्रति फीडर
	01 गैंग में निम्न जनशक्ति	
	टी०जी०-2 लाइन (लाइन मैन)	1
	कुलश श्रमिक (पेट्रोलमैन)	1
	श्रमिक	2
2	उपकेन्द्र परिचालन हेतु	
	उपकेन्द्र परिचालक	4
	श्रमिक	4
3	नगरीय उपकेन्द्र हेतु	2 अपातकालीन गैंग

नोट:- प्रति उपकेन्द्र दो 11 के०वी० फीडर निर्धारित किये गये है।
उक्त आदेश के फलस्वरूप पूर्व में निर्धारित मानक उपरोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

अध्यक्ष

सं०-986 (i)-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2015/2-प्र०सु०/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ /मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्तानुसार निर्धारित नये मानकों का अनुमोदन अपने निदेशक मण्डल से भी प्राप्त करने का कष्ट करें।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

Indrmani

(इन्द्रमणि)

उप सचिव (ज०श० एवं प्रशि०)